

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 2(5)खा.वि./स्था.प्र./2023

जयपुर, दिनांक 22/03/2024

आदेश

दी राजस्थान फूड एवं सिविल सप्लाइज सर्विस रूल्स, 1976 के नियम 26 के प्रावधानानुसार दिनांक 01.04.2024 की स्थिति में उपायुक्त के पद हेतु अनन्तिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की जाती है। उक्त अनन्तिम (Provisional) वरिष्ठता सूची के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो सूची जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में अपना लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुत करें। उक्त समयवधि के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा अंतिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी जावेगी :-

| क्र. सं. | नाम अधिकारी | श्रेणी | जन्म तिथि | वर्तमान पद धारित करने की तिथि |
|----------|------------------|--------|------------|-------------------------------|
| 1 | श्री रामचरण मीणा | ST | 15.04.1977 | 14.03.2024 |

(रामस्वरूप)

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव
(खाद्य)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, खाद्य विभाग, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 5 सहायक आयुक्त, खाद्य विभाग, जयपुर।
- 6 सम्बंधित अधिकारी।
- 7 प्रोग्रामर, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त अनन्तिम (Provisional) वरिष्ठता सूची को ई-मेल/वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 8 रक्षा पत्रिका।

Signature valid

RajKaj Ref
0197659

Digitally signed by Ramsvaroop Meena
Designation : Joint Secretary To
Government
Date: 2024.03.22 10:15:38 IST
Reason: Approved